



2026:AHC:42090

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी संख्या - 7469 सन् 2026

अंकुर मल

... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: उत्कर्ष सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

- 1- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
- 2- प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी कर इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से स्वयं को आहत अनुभव करता/करती है, तो उसे इस आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 3- याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि प्रतिवादी संख्या-2/तहसीलदार, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर को वाद संख्या RST/684 सन् 2015 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T2015053103684) का शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जाए।
- 4- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उपनियम (7) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दीर्घकाल से लंबित है। इस स्तर पर नियम 34(7) का उल्लेख करना समीचीन होगा, जिसके अनुसार—

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“(7) तहसीलदार विवादरहित नामांतरण प्रकरण का निस्तारण प्रकरण के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों के भीतर तथा विवादित नामांतरण प्रकरण का निस्तारण 90 दिनों के भीतर करने का प्रयास करेगा। यदि उक्त अवधि के भीतर कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है, तो इसके कारण अभिलेख में अंकित किए जाएंगे।”

5- उपर्युक्त प्रावधान तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या-2/तहसीलदार, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आवेदन को ग्रहण कर उसके गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार यथाशीघ्र निस्तारण करें तथा अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निस्तारण करें। साथ ही, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन न दिया जाए, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

6- उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

7- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

24 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।